न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : हिमांशु गुप्ता, आई0ए0एस0

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सं. 55/2016

प्रार्थी–	*बनाम*	**अप्रार्थी–**
मोटाराम पुत्र रासींगाराम जाति		चिमाराम उर्फ चिमनाराम पुत्र मानाराम
जाट निवासी बिशाला आगोर		जाति जाट निवासी बिशाला आगोर
तहसील व जिला बाड़मेर		तहसील व जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 विरूद्ध भूमि आवंटन आदेश दिनांक 08.06.1968 जिसके द्वारा मौजा बिशाला के खसरा नम्बर 134 में रकबा 40.00 बीघा भूमि आवंटन की गई।

उपस्थिति :–

1. श्री नृसिंह सोलंकी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री करनाराम चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

निर्णय

दिनांक : 30.07.2019

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि भूमि आवंटन सलाहाकार समिति की बैठक दिनांक 08.06.1968 के दौरान कृषि भूमि के नियमन हेतु प्रस्तुत मामलों मे क्रन संख्या 53 पर अंकित आवंटी चीमा पुत्र माना जाट के नाम ग्राम बिशाला के खसरा नम्बर 134 की रकबा 40–00 बीघा किस्म बारानी सोयम भूमि आवंटन किये जाने की अनुशंषा एवं आवंटन आदेश के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम, 1970 के अन्तर्गत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया हैं।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को जवाब हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं दोनो पक्षों की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस प्रक्कथन एवं अभिलेखीय साक्ष्य का अवलोकन किया।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

3. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण को सुना एवं प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आवंटी चीमा पुत्र माना ने दिनांक 08.06.1968 को आवंटन सलाहाकार समिति के समक्ष गलत तथ्य पेश कर स्वंय को बालिग एवं भूमिहीन बताकर आवंटन करवा लिया जबकि वह अवयस्क था। अप्रार्थी के विधालय रेकर्ड अनुसार जन्मतिथी 12.08.1951 दर्ज है तद्नुसार वक्त आवंटन आयु 16 वर्ष नौ माह व 26 दिन थी। इस प्रकार नाबालिग के पक्ष मे आवंटन कपट व दुर्व्यपदेशन द्वारा प्राप्त किया गया हैं जो निरस्त योग्य हैं। यह भी प्रकट किया कि अप्रार्थी को आवंटित भूमि मे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये हैं कि आवंटन विधि विरूद्ध होने से उसे खातेदारी का कोई लाभ प्राप्त नही हो सकता हैं। अतः अप्रार्थी के पक्ष मे किया गया विधि विरूद्ध आवंटन खारिज कर भूमि राज्य सरकार के पक्ष मे लिये जाने का आदेश फरमाया जावें।

4. अप्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने जवाब मे निवेदन किया कि आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा अप्रार्थी को भूमि आवंटन से पूर्व समस्त तथ्यों एवं पहलुओं की जांच करने के पश्चात ही ग्राम बिशाला मे 40 बीघा भूमि आवंटित की गई थी, इसमे से अप्रार्थी द्वारा 2–10 बीघा भूमि विधालय निर्माण हेतु राज्य सरकार के पक्ष मे समर्पण की थी तथा समर्पण भूमि पर विधालय संचालन हो रहा हैं। अप्रार्थी वक्त आवंटन वयस्क था परन्तु तत्कालीन समय मे अप्रार्थी के माता–पिता अनपढ़ व ग्रामीण परिवेश के लोग थे, जहां जन्मतिथी संबंधी कोई रेकर्ड नही रखा जाता था। इसलिए अप्रार्थी को स्कूल मे दाखिला दिलाते समय अंदाज से जन्मतिथी 12.08.1951 दर्ज कर दी थी जबकि अप्रार्थी का जन्म संवत् 2006 मे हुआ था तथा विधालय रेकर्ड मे जन्मतिथी गलत दर्ज हुई हैं। अप्रार्थी वक्त आवंटन वयस्क था तथा खेती करने मे सक्षम था जो आवंटन से लगाकर आदिनांक लगातार इस भूमि पर काश्त करता आ रहा हैं। आवंटित भूमि पर अप्रार्थी की पक्की ढाणी, पानी के टांके तथा पशुओं के चारबाड़े इत्यादि बने हुए हैं। अप्रार्थी को आवंटित भूमि मे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है तथा माननीय

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों मे प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार कि खातेदारी प्राप्त होने के लम्बे अंतराल के बाद प्रस्तुत आवंटन निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र काबिले खारिज हैं। प्रार्थी ने अप्रार्थी को परेशान करने एवं राजनैतिक प्रतिद्वद्विता के कारण यह प्रार्थना पत्र आधारहीन तथ्यों पर आधारित प्रस्तुत किया हैं तो निरस्त योग्य हैं। अतः प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र सारहीन होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें।

5. हमने दोनो पक्षों की ओर से प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता हैं कि अप्रार्थी को दिनांक 08.06.1968 मे ग्राम बिशाला के खसरा नम्बर 134 मे से 40 बीघा बारानी सोयम भूमि आवंटन हुई थी। इस आवंटन को मिथ्या एवं कपट द्वारा प्राप्त किया जाना मानते हुए प्रार्थी ने प्रकट किया हैं कि वक्त आवंटन अप्रार्थी अवयस्क था जो आवंटन हेतु सक्षम नही था। इसके विपरित अप्रार्थी के अधिवक्ता का कथन हैं कि अप्रार्थी के माता–पिता अनपढ़ व ग्रामीण परिवेश के लोग हैं जिनके द्वारा अप्रार्थी की जन्मतिथी का कोई दस्तावेज नहीं रखा है। अप्रार्थी को विधालय मे प्रवेश के समय अंदाज से आयु दर्ज करवाई थी जबकि वास्तव मे उसका जन्म संवत् 2006 मे हुआ था। इसके अलावा प्रार्थी के द्वारा प्रश्नगत आवंटन बाबत कोई ठोस तथ्य अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जबकि इस बिन्दु पर अधिवक्ता अप्रार्थी का कथन हैं कि वक्त आवंटन अप्रार्थी वयस्क था तथा स्वंय खेतीबाड़ी करने मे सक्षम था, अप्रार्थी ने आवंटन की समस्त शर्तों का पालन किया है एवं नियमानुसार उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है जो इतने लम्बे अंतराल के बाद अब निरस्त नहीं किये जा सकते हैं। इस प्रकार अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रकरण मे प्रकट तथ्य अनुसार अप्रार्थी को लगभग 50 वर्ष पूर्व आवंटन हुआ है जिसे अब इतने लम्बे अंतराल के बाद जब उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है, निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता हैं। लिहाजा उभय पक्षकारान की ओर से प्रकट तथ्यों पर मनन उपरांत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

6. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के उपरांत प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र सरहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जाता हैं।

7. निर्णय आज दिनांक 30.07.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर